मोबाईल नं. -7060002410
ई-मेल: sewatwo2@gmail.com

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार- 249404

सं0 37/08(ii)/डी0आर0/सेवा-02/2012-13 दिनाँक :: 18 मई, 2018

साक्षात्कार -ज्ञाप

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी के विभिन्न विषयों/पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या- 02/विज्ञापन /सेवा-02/2014-15, दिनाँक 03 फरवरी, 2015 के सापेक्ष प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (पंचायत)/प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (सांख्यिकी)/प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (कृषि अभियंत्रण एवं उत्पादन) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित साक्षात्कार-कार्यक्रम के अनुसार आपका साक्षात्कार आयोग कार्यालय में **दिनांक 07 जून, 2018 (बृहस्पतिवार) पूर्वाह्न 09:30 बजे** होना निर्धारित है।

2- इस ज्ञाप के साथ वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रपत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के साथ साक्षात्कार के दिन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे- **(क)** विस्तृत आवेदन-पत्र **(Detailed Application Form) (प्रपत्र संख्या-02)** **(ख)** प्रमाणीकरण-प्रपत्र **(Attestation Form) (प्रपत्र संख्या-03)** तथा **(ग)** देशना-प्रपत्र **(Index Card) (प्रपत्र संख्या-04)**

3- अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि को निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्र आयोग के अवलोकनार्थ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। **मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा:-**

01. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका।
02. इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका।
03. स्नातक उपाधि एवं समस्त वर्षो की अंक-तालिका।
04. परास्नातक उपाधि एवं समस्त वर्षो की अंक-तालिका।
05. अन्य अनिवार्य अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।
06. अधिमानी अर्हताओं (Preferential Qualifications) सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।
07. एक्स्ट्रा कैरिकुलर, विशेष योग्यता एवं अनुभव, जिसका दावा किया हो, सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।

08. आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा नवीनतम निर्धारित प्रारूप पर जारी।

09. अभ्यर्थी यदि सरकारी सेवा में सेवारत है तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र मूल रूप में।

10. यदि अभ्यर्थी के नाम/ पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण-पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में।

4- साक्षात्कार प्रारम्भ होने के पूर्व अभ्यर्थी को साक्षात्कार शुल्क **रू. 150.00 (आरक्षित वर्ग से रू. 60.00)** आयोग कार्यालय के लेखा अनुभाग में नकद जमा करके रसीद प्राप्त करनी होगी।

5- साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी पासपोर्ट साइज **(आवक्ष)** के नवीनतम दो स्वप्रमाणित फोटोग्राफ अवश्य लाएं।

6- यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु यथावांछित उपर्युक्त शर्तें पूरी नहीं करते हैं, तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था **(Examining Body)** ने नियमित प्रमाण-पत्र **(Certificate)** अथवा उपाधि **(Degree)** नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण-पत्र **(Provisional Certificate)** मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर दिखाना होगा, जो प्रस्तुत किये जाने की तिथि से छः माह पूर्व से अधिक का न हो।

7- विज्ञापन की शर्तों को पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

8- आयोग परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है।

18/5/19

(आनन्द स्वरूप)

सचिव।